हाथ में अवैध बंदूक लेकर युवक का वीडियो प्रसारित

संभल, बहरामपुर (अमरोहा) : इंटरनेट मीडिया पर एक युवक का अवैध देसी बंदूक के साथ वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। यह बहरामपुर से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि प्रसारित वीडियो की जागरण पुष्टि नहीं करता है। धनाध्यक्ष कुलदीप तोमर ने बताया कि प्रसारित वीडियो की जांच कराई जा रही है और युवक की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रामपुर का युवक प्रेमिका की बेटी पर रखता था बुरी नजर, मार डाला

संस, जागरण ● लोनी (गाजियाबाद) : ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की राम पार्क एक्सटेंशन कालोनी में 23 जून को हुई युवक की आत्महत्या के मामले में नया राजफाश हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है। मृतक की महिला मित्र ने बेटी पर बुरी नजर रखने के चलते अपनी बहन के साथ मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों ने हत्या कर शव पंखे पर लटकाने की बात स्वीकारी है।

● ट्रोनिका सिटी क्षेत्र की रामपार्क एक्सटेंशन कालोनी का मामला

मूलरूप से जिला रामपुर के गांव मिलक काजी निवासी जाकिर राम पार्क एक्सटेंशन कालोनी में किराये के मकान में परिवार के साथ रहते थे। उनकी महिला मित्र किरन पूजा कालोनी में किराये के मकान में रहती थी। मित्र का उनके घर भी आना जाना था। 23 जून को जाकिर का शव अपने मकान में अंगीठी से पंखे पर लटका मिला था। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का मामला सामने आया है। पूछताछ के दौरान युवक के लिव-इन में रहने की जानकारी हुई। महिला मित्र किरन और उसकी बुर्नेदाबाद निवासी बहन कलिश को गढ़ी कटैया गांव से गिरफ्तार किया गया है।

ऐसे हुई जान पहचान : पुलिस को किरन ने बताया कि 11 साल पहले वह नोएडा शकिर पुर क्षेत्र में किराये पर रहती थी। जाकिर भी वहां किराए पर रहता था। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। जाकिर राजमिस्त्री का काम करता था। उसका पति घर्मकांर जाकिर के साथ मजदूरी करता था। जाकिर आठ माह पहले परिवार के साथ राम पार्क एक्सटेंशन में रहने लगा तो वह भी अपनी बेटी, दो बेटों के साथ पूजा कालोनी में रहने लगी। जाकिर किरन के साथ लिव-इन में रहता था।

क्राइम पेट्रोल देखकर बनाई पुलिस की चकमा देने की योजना : पुलिस पूछताछ में दोनों ने क्राइम पेट्रोल देखकर हत्या करके शव पंखे पर लटकाने की योजना बनाई। दोनों बहनों ने बताया कि 23 जून को जाकिर के मोबाइल से ओला टैक्सी बुक की। जब चालक कैब लेकर घर के बाहर आ गया तो बच्चों को कैब में बैठने भेज दिया। बच्चों के जाते ही किरन ने डंडे से जाकिर के सिर पर हमला कर दिया। उसके बेहोश होते ही दोनों बहनों ने अंगीठी से गला घोंट दिया। लोगों के एकत्र होने पर उसके भाई समीर को सूचना दी और उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में पहुंचों। पुलिस को भी दोनों ने आत्महत्या करने की बात बताई थी।

अमरोहा में ताई व तहेरे भाई ने किया मासूम का अपहरण

● 15 घंटे बाद कब्रगाह स्थित दरगाह के सामने मिला सुरक्षित

जागरण संवाददाता, अमरोहा : घर के बाहर खेल रहे पांच वर्षीय सूर्यांश का उसकी ताई सरिता और तहेरे भाई आदित्य ने अपहरण कर लिया। करीब 15 घंटे बाद पुलिस ने एक जंगल में दरगाह के पास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

रविवार सुबह सूर्यांश पल्स पोलियो की खुराक पिलाने के बाद घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद उसके लापता होने पर स्वजन ने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी। इंटरनेट मीडिया पर भी बच्चे की फोटो प्रसारित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने गांव के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसी बीच पता चला कि बच्चे की ताई सरिता और उसका बेटा आदित्य भी घर से गायब हैं। फुटेज में दोनों सूर्यांश को मंडी धनौरा रोड की ओर ले जाते दिखाई दिए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस रहमापुर स्थित दरगाह पहुंची, जहां दोनों बच्चे के साथ मिले।

पुलिस को देखकर वे सूर्यांश को छोड़कर भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिए गए। बच्चा बेहोशी की हालत में मिला, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य बताई गई।

मामूली विवाद के बाद गोली मारकर डंपर चालक की हत्या

रामपुर के पटवाई में ढाबे पर हुई घटना, पांच लोगों पर आरोप

धान के खेत में मिला टेंपो चालक का शव, हत्या की आशंका

जासं, रामपुर: पटवाई क्षेत्र में सोमवार देर रात मामूली विवाद के बाद ढाबे पर डंपर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्वजन ने पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है।

चंदिका गांव के पास स्थित एक ढाबे पर मदारसूर क्षेत्र के झंझुपुरा निवासी डंपर चालक 25 वर्षीय चंचल कुमार सोमवार रात लगभग 11 बजे खाना खाने गया था। इस दौरान वहां भौजूद कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इस बीच आरोपित ने तमंचे से चंचल को गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। चीख पर आसपास तहलका मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चंचल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचे स्वजन का जासं, संभल: गांव मिलाधुर नसरूल्लापुर में घोड़ी चराने जा युवक को पीटने के बाद बिगड़े महौल के मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। यह रिपोर्ट लूट, मारपीट, पथराव व फायरिंग के आरोप में हुई है। 28 जून को शाम सुनील कुमार घोड़ी चराने जा रहा था। रास्ते में समीम, शाहीद, शान, कासिद, शहिद, राजा, जाबेद, सोहेल, दिलशाद और इरफान ने उसे रोककर गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपितों ने मारपीट कर दी। आरोप है सुनील जान बचाकर चाचा के घर पहुंचा तो आरोपित फरसा, तमंचा, लोहे की राड व अन्य हथियार लेकर घर में घुस आए।

घर में मौजूद दमकिशोर, रतन सिंह, सुमित, कैलाशवती सहित अन्य स्वजन को भी पीटा। आरोप है शान ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया, अभद्रता कर कैलाशवती के कपड़े फाड़ दिए। बहात के लिए रखे तीन लाख रुपये व सोने-चांदी के आभूषण भी ले गए। संस्कार होने के बाद सभी लोग रात साढ़े नौ बजे करीब मुहम्मद नगर कस्बा लौट आए। वह सावरी को उतरने के बाद तिलक सिह टेपो लेकर घर की ओर निकल गए। देर रात बदायूं के गांव रियोर्ड निवासी उसके बहनोई राजेश ने तिलक सिह को फोन किया। लेकिन मुहम्मद नगर कस्बे के रहुल ने काल रिसीव की। फ्रूफ्ल घर बताया कि उसे मोबाइल रास्ते में मिला है। इसके बाद राजेश ने अपने ख्रेष्ट साले नेहेद को फोन किया और पूरी जानकारी दी। इसके बाद स्वजन उसे तलाशने लगे। बताते हैं कि रात साढ़े 11 बजे करीब मुहम्मद नगर कस्बा से भीकानगुर गांव को जाने वाले रास्ते पर ब्रमंद के धान के खेत में उसका शव पड़ा मिला।

धान प्रभारी घनंजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जल्द ही आरोपित गिरफ्तार किया जाएगा।

101 करोड़ की सरकारी भूमि के बंदरबांट में 32 अधिकारी नामजद

जागरण फालोअप

● सन् 2008 में 38 बीघा सरकारी भूमि का फर्जी दस्तेज से पट्टा कराने के लिए दे आदेश

● शनिवार को उप संचालक चकबंदी ने भूमि को दोबारा कराया था ग्राम समाज के नाम

जागरण संवाददाता, संभल : 101 करोड़ की 5.06 एकड़ ग्राम समाज की भूमि का षड़यंत्र पूर्वक पट्टा देने और बेचने के मामले में कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेखपाल की तहरीर पर तत्कालीन उपसंचालक चकबंदी खेम सिंह खड़क, तत्कालीन 27 अधिकारी राजकुमार गुप्ता, पालिका के मानचित्रक शहबुद्दीन, पैरोकार भाजिद खान सहित खरीदने वालों और बेचने वाले समेत 32 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। रविवार को डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी भूमि का निरीक्षण किया था।

लेखपाल सर्वर गुप्ता की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार तहसील गोसाई में ग्राम सभा की 38 बीघा भूमि है। यह 12 अगस्त 1967 से विवादित थी। बाद में क्षेत्र के साईदल रहमान ने तत्कालीन उपसंचालक चकबंदी से वर्ष 2008 में आदेश प्राप्त कर भूमि पर कब्जा कर लिया गया। उपसंचालक चकबंदी न्यायालय ने 27 जून 2026 को पारित आदेश में स्पष्ट माना कि पूर्व का आदेश फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय को गुमराह कर हासिल किया गया था। तत्कालीन उपसंचालक चकबंदी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, पालिका के ही मानचित्रक और पैरोकार इस षड़यंत्र में शामिल थे। साईदुल रहमान की मौत हो चुकी है। उसके उत्तराधिकारियों उसकी पत्नी शाहजहां बेगम, बेटे इब्राहुरहमान खां, फरसानुरहमान खां ने भूमि बेचनी शुरू कर दी। 25 लोगों ने जमीन खरीदी। इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। उप संचालक चकबंदी ओमप्रकाश अंजेरा की कोर्ट ने पहले पारित आदेश निरस्त कर पूरे जमीन दोबारा ग्राम सभा के नाम दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

मिर्जापुर में फायरिंग व तीन लाख की लूट के आरोप में 10 पर केस

अमरोहा में मिठाई की दुकान पर रिश्वत लेते कानूनगो दबोचा, पैंट भी उतरवाई

● भूमि की पैमाइश के नाम पर किसान से लिए थे 10 हजार

● अमरोहा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने किया गिरफ्तार

जासं, अमरोहा: गजरौला में मिठाई की एक दुकान का नजारा सोमवार दोपहर एकाएक बदल गया। ग्रेड के राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) अरविंद कुमार शर्मा को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। उसने भूमि पैमाइश के बदले किसान देवकरन से 10 हजार रुपये लिए थे। अरविंद को पैंट से भी 22,600 रुपये जब्त हुए। जिसके बाद टीम ने राजस्व निरीक्षक की पैंट भी उतरकाकर खींच कर ली। उसे तौजर (पाकशाला) पहनाकर गिरफ्तार किया गया।

एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर नवल मारवाह ने बताया कि हसनपुर तहसील में तैनात अरविंद कुमार शर्मा पर रहबाजपुर ठोर-बिलौरी की जिम्मेदारी है। जिसमें करीब 20 गांव आते हैं। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें नगर के इंदिरा चौक स्थित मिठाई की दुकान से हसनपुर से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम की कार्रवाई देखकर दुकान पर मौजूद ग्राहक और खरीदार सन्नाटा रह गए। यहां से टीम उन्हें थाने लेकर पहुंची और पूछताछ की। उनके पास से लगभग 22,600 रुपये भी मिली। टीम ने रकम और पैंट को भी सीज कर दिया।

राजस्व निरीक्षक ने किसान से कृषि भूमि की पैमाइश और डिग्रबंदी के नाम पर 10 हजार की रिश्वत मंगवी थी। इधर, एंटी करप्शन की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही हसनपुर तहसील क्षेत्र में तैनात लेखपाल और राजस्व निरीक्षक भी थाने पहुंच गए और कार्रवाई की गलत बताया। हालांकि, बाद में सभी बयस लौट गए।

गजरौला के इंदिरा चौक पर कानूनगो को पकड़कर ले जाती एंटी करप्शन टीम ● जागरण

पति की दूसरी शादी पर भड़की महिला, कोतवाली में हंगामा

संस, शाहाबाद (रामपुर): पति की दूसरी शादी की जानकारी पर महिला मायके वालों के साथ शाहबाद कोतवाली पहुंच गई। वहां उसने हंगामा कर दिया। पुलिस ने उसे समझाकर शांत किया। जौनपुर के थाना कुटाहेड़ा क्षेत्र के चक फतेहपुर गांव निवासी रीना के अनुसार, उसकी शादी वर्ष 2016 में शाहबाद थाना क्षेत्र के करीमगंज गांव निवासी युवक साद हुई थी। आरोप है कि सालभर पहले पति के दूसरी युवती से संबंध हो गए। वह उसे घर ले आया। इसे लेकर पति-पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई। तब मामला पुलिस में गया तो वह समझौता हो गया।

समस्या आपकी समाधान INTERNATIONAL SEXOLOGIST

यदि आप भी धात, स्वप्नदोष, ल्यूकोरिया, मदहीन कमजोरी, गुप्त रोगों एवं क्षुद्राणुओं की कमी का राजवैद्यों के नुस्खों पर आधारित कीमती एवं बहुमूल्य दवाओं द्वारा सबसे उचित आयुर्वेदिक इलाज करवाना चाहते हैं तो मिलें

मनीष कुमार – मेरी शादी को 4 वर्ष हो चुके थे। मैं शीघ्रपतन रोग से पीड़ित था कम्प्यूटर इंजीनियर होने के साथ-साथ बीच में अपने पार्टनर से मिलता था एक मुझे 30 से 40 प्रकोण में मेरा शीघ्रपतन हो जाता था। एक दिन इन दोनों में फैसला लिया और सीधे सिंह क्लीनिक पहुंचे दोनों से इसका इलाज करवाया। डॉ. सिंह ने जैसे मुझे दवाई दी मैं एक सप्ताह में ठीक हो गया। मुझमें वही जोश आने लगा जो जोश जवानी में आता था। अब मेरा वैवाहिक जीवन सफल हुआ। आज मैं जो कुछ हूँ वो डॉ. सिंह की बदौलत से हूँ।

अमित्रेश – मेरी चमकन की गलतियों से मुझे प्रमेह रोग हो गया। मेरी याददाश्त कमजोर हो गयी। बात एवं स्वप्नदोष रोग से ग्रसित होकर निराश हो चुका था। मैं विभिन्न दवाखानों में इलाज कराकर थक चुका था। फिर मुझे सिंह क्लीनिक के बारे में रेडियो एफ.एम. के द्वारा पता चला और सिंह क्लीनिक पर इलाज हेतु पहुंचा। डॉ. साहब की हुस्न बताया और उनके मार्गदर्शन से इलाज कराकर मैं ठीक हो गया। डॉ. सिंह का बहुत-बहुत धन्यवाद।

WORRIED ABOUT YOUR SEXUAL HEALTH?

Singh Clinic

DR. V.P. SINGH

D.Lit. (Ayurveda)

स्त्री एवं पुरुष गुप्त रोग विशेषज्ञ

पता :- रॉयल कॉलोनी, पीलीभीत बाईपास रोड, सैटेलाइट बस स्टैण्ड से 1 किलोमीटर आगे, सतीपुर टीराहा, बरेली।

9837057107
9837343729

Website : sexologistvpsingh.com
Website : drvpsingh sexologist.com

झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड

प्रमाण - रजिस्टर्ड/पंजीकृत कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफ 23, झालावाड़ (राज.) दिनांक - 24/06/2026

निविदा सूचना

बैंक शाखाओं में CCTV सेटअप इंस्टॉलेशन करवाने हेतु NIT NO. 007/2026 27 द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी है। निविदा प्रपत्र निर्धारित दिनांक 24.07.2026 को सायं 5:00 बजे तक निर्धारित निविदा अनुसार बैंक प्रधान कार्यालय, झालावाड़ पिन 326503 में भिजवाये जा सकते है। विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट http://www.ccbjhalawar.bank.in तथा SPPP Portal - http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

NIB Code - JKS2627A0004, UBN No. - JKS2627GLOB00004

प्रबंध निदेशक

UPSTDC उत्तर प्रदेश पर्यटन

पर्यटन भवन, सी-13, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010
फोन: 0522-2308816, ई-मेल: upstdc.gm@gmail.com, www.upstdc.co.in

पत्र सं. : 8964/पी.-5/निविदा सूचना/2025-26 दिनांक: 29.06.2026

पुनः ई-निविदा सूचना

उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि., लखनऊ द्वारा प्रतिष्ठान दर पर उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि. में सुपीनेट (स्तर ए/बी/सी/डी) अर्ह ठेकेदारों से ई-टेन्डर पोर्टल पर एक्स नि: प्रस्ताव के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा पत्रक की समय की जाती है कि निविदा प्रलेख से पूर्ण अर्हता के सम्बंध में नियम/शर्तों से अवगत हो लें। कार्य की मात्रा में विचलन संभावित है।

क्र. सं.	कार्य/सेवाओं सूचीबद्ध का नाम	कार्य का नाम	निविदा की लागत (ल. लाख में)	धरोहर राशि (ल. लाख में)	निविदा की वैधता	कार्य पूर्ण करने की अवधि	बोलियां लेकेदारों की श्रेणी	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महाप्रबन्धक (एफ.), उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि., लखनऊ	नवनगर अमरोहा के विकास खण्ड धनौरा के डिजीटी गांव विषय सात सुख बिन गंगेर के पर्यटन विकास कार्य।	65.04	6.25	90 दिन	6 माह	लिमिट कार्य हेतु पूर्वोक्त श्रेणी ए,बी,सी,डी	लेकेदारी धनराशि: 5000 G.S.T. : 900 कुल योग रु. 5900
2	महाप्रबन्धक (एफ.), उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि., लखनऊ	नवनगर सम्पत के नवनगर ग्राम बेर वाया सराय बन्दर पुंगी में पिकनिक पुंज कुंज टीनें व भंडारे विकास कार्य।	322.66	18.63	90 दिन	9 माह	लिमिट कार्य हेतु पूर्वोक्त श्रेणी ए,बी	लेकेदारी धनराशि: 7500 G.S.T. : 1350 कुल योग रु. 8850

ई-निविदा पोर्टल से निविदायें दिनांक 30.06.2026 से बाउन्सेल की जा सकती है एवं दिनांक 07.07.2026 की दोपहर 12:30 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। उक्त कार्य की निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 07.07.2026 को अपरान्ह 3:30 बजे आयोगकृत कोर्टी खोली एवं अर्ह पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड तद्पश्चात पूर्व सूचना के अनुसार खोली जाएगी। निविदा सम्बन्धी सभी शर्तें आदि https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

प्रबन्ध निदेशक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Punjab & Sind Bank (A Government Of India Undertaking) Where service is a way of life

ई-नीलामी बिक्री सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली
97/2, तुलारोपुर पीलीभीत बाईपास रोड बरेली, उ.प्र.–243122
दूरभाष : 0581–2510513 ई–मेल : ro.bareilly@psb.bank.in

["परिशिष्ट IV-A"]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 8 (6) के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना ।

ई–नीलामी तिथि व समय : 30.07.2027 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01 बजे तक

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 28.07.2026 शाम 5:00 बजे तक | संपत्ति निरीक्षण तिथि व समय : 28.07.2026 प्रातः 10:00 बजे से 04 बजे तक

सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और जमानतकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है, जिसका सांकेतिक कब्जा पंजाब एंड सिंध बैंक, सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। उक्त संपत्ति की बिक्री से बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 30.07.2026 को "बैसा है जहां है", "बैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा।
बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर प्रदान किए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा/ऋणी/बन्धककर्ता/जमानतकर्ता का नाम व पता	सम्पत्ति एवं स्वामी का विवरण	मांग सूचना तिथि / मांग पत्र 13(2) में अंकित राशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी राशि / वृद्धि राशि
1.	शाखा : बहारी [A0547] 1. श्री वख्तियार अहमद पुत्र श्री मुख्तियार अहमद (ऋणकर्ता/बंधककर्ता), निवासी मोहल्ला मिलाकपुर अड्डा, शीशगढ़ देहात, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश–243505। 2. श्री इम्तियाज अहमद पुत्र श्री जुल्फिकार अहमद (जमानती), निवासी वार्ड संख्या–03, मलहरा संख्या–62, शीशगढ़ देहात, तहसील मिलाकपुर, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश–243505। 3. श्री मुस्तफा अहमद पुत्र श्री एकीक अहमद (जमानती), निवासी मोहल्ला अजलेघाटीस, शीशगढ़ देहात, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश–243505।	अचल सम्पत्ति जिसका नाप संख्या–612, कुल क्षेत्रफल 0.342 हेक्टेयर में 1.40 बीघा अर्थात् 0.0570 हेक्टेयर (570 वर्ग मीटर) है। जो ग्राम शीशगढ़, तहसील नीरगंज, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस्म मिलेक्स संख्या–6328, बही संख्या–1, जिल्द संख्या–3728, पृष्ठ संख्या–353 से 386, दिनांक 19.11.2020 को उप–पंजिकाकार कार्यालय, नीरगंज, जनपद बरेली में पंजीकृत है। चौहद्दी निम्नवत् है : पूरब : मोहम्मद याकीन का खेत, पश्चिम : कब्रगाह मक्ता नवी, उत्तर : साबिर का खेत, दक्षिण : रास्ता का खेत।	04-09-2025 / Rs. 34,000,00 / Rs. 3,40,000 / Rs. 34,0000
2.	शाखा : बहारी [A0547] 1. मैसर्स राज पैलेस प्रोपराइटर श्री मक्खूद (ऋणकर्ता), खाता संख्या–00031, गाटा संख्या–1340, ग्राम महोलेश, सरदार एम.एस. इंट कॉलेज के निकट, महोलेश एस्टेट, मिलाकपुर–शीशगढ़ रोड, तहसील मिलाकपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश–244621। 2. श्री मक्खूद पुत्र श्री अहमद नबी (प्रोपराइटर/बंधककर्ता), निवासी ग्राम महोलेश, डाकघर बेगमबाग, तहसील मिलाकपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश–244621। 3. श्री अमीर इसान पुत्र श्री अहमद नबी (जमानती/बंधककर्ता), निवासी ग्राम महोलेश, डाकघर बेगमबाग, तहसील मिलाकपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश–244621। 4. श्री सफदर हुसैन पुत्र श्री अहमद नबी (जमानती/बंधककर्ता), निवासी ग्राम महोलेश, डाकघर बेगमबाग, तहसील मिलाकपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश–244621। 5. श्री मक्खूद आलम पुत्र श्री अहमद नबी (जमानती/बंधककर्ता), निवासी मकान संख्या–254, ग्राम महोलेश, डाकघर बेगमबाग, तहसील मिलाकपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश–244621।	संपत्ति संख्या–1 : अचल संपत्ति खाता संख्या–00031, गाटा संख्या–1340, जिसका क्षेत्रफल 0.1210 हेक्टेयर है जो श्री सफदर हुसैन एवं श्री मक्खूद आलम के नाम पर ग्राम महोलेश, तहसील मिलाकपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। गिफ्ट डीड ग्राम संख्या–380, बही संख्या–1, जिल्द संख्या–4166, पृष्ठ संख्या–90 से 78, दिनांक 11.01.2024 को उप–पंजिकाकार कार्यालय, मिलाकपुर, जनपद रामपुर में पंजीकृत है। चौहद्दी निम्नवत् है : पूरब : सिंक रोड, पश्चिम : बूटा सिंह की संपत्ति, उत्तर : बूटा सिंह की संपत्ति, दक्षिण : प्राथकर्ता (क्रेता) की संपत्ति। संपत्ति संख्या–2 : अचल संपत्ति खाता संख्या–00031, गाटा संख्या–1340, जिसका क्षेत्रफल 0.1210 हेक्टेयर है जो श्री मक्खूद एवं श्री अमीर इसान के नाम पर ग्राम महोलेश, तहसील मिलाकपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। गिफ्ट डीड ग्राम संख्या–381, बही संख्या–1, जिल्द संख्या–4166, पृष्ठ संख्या–79 से 92, दिनांक 11.01.2024 को उप–पंजिकाकार कार्यालय, मिलाकपुर, जनपद रामपुर में पंजीकृत है। चौहद्दी निम्नवत् है : पूरब : सिंक रोड, पश्चिम : बूटा सिंह की संपत्ति, उत्तर : बाराही (सोनरी) की संपत्ति, दक्षिण : छोटे की संपत्ति।	30-07-2025 / Rs. 77,44,000 / Rs. 7,74,400 / Rs. 78,000

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर : शांतनु त्रिपाठी (बाराही) एवं संपर्क नंबर 8283817927

ईएमडी को नीलामदाता द्वारा ई–नीलामी पोर्टल https://ebkray.in/@SYNEFT/RTGS/CHALLAN पर उपलब्ध कराए गए अपने बैंक में स्थानांतरित किया जाना है। उक्त खाते का विवरण जिसमें ईएमडी के बाद शेष राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा की जानी है : खाते का नाम– एनईएफटी पार्टनर खाता, खाता नंबर– 8017504070003; आईएफएस कोड– PSB8000017, बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया https://punjabandsindbank.co.in/module/earfaest-list और https://baanknet.com/ देखें। नोट : इस नोटिस को नियम 8(6) सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के तहत उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) (एल/ई) को 15/30 दिनों की वैधानिक बिक्री नोटिस के रूप में भी माना जाना चाहिए।

दिनांक : 29.06.2026 स्थान: बहारी प्राधिकृत अधिकारी पंजाब एण्ड सिंध बैंक